

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के संगत प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष 2023 (01.07.2023 से 30.06.2024) तक की 09 रिक्तियों को अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा 09 उपनिरीक्षक मोटर परिवहन को निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर चयन की संस्तुति उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्रांक पीआरपीबी-चार-12(30)2023 दिनांक 20.09.2023 एवं तत्कम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदन दिनांक 29.09.2023 के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध 01 रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन को निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर आदेश की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	नियुक्ति का जनपद/इकाई	चयन का वर्ष
1	08	842250133	अजय कुमार मिश्रा	श्री शिव नरेश मिश्रा	02.07.1965	अयोध्या	2023


2- पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक मोटर परिवहन अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये निरीक्षक मोटर परिवहन की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन से संलग्न पारूप-"क" में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड -2 में दी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उपनिरीक्षक मोटर परिवहन उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त उपनिरीक्षक मोटर परिवहन को निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि संबंधित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर [http:// uppolice.gov.in](http://uppolice.gov.in) में **police units** में **Logistics - Circulars** में अपलोड कर दिया गया है।


(राजकुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध इकाई)

पंचम तल, टावर-1, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर, विस्तार, लखनऊ 226010

संख्या-लॉजि0-परिवहन-3/2023

दिनांक:लखनऊ:जनवरी 02 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्मियों के प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद अयोध्या।

2. पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

3. अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(30)2023 दिनांक 20.09.2023 के संदर्भ में।

4. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-डीजी-चार-125(02)/2018 दिनांक 29.09.2023 के संदर्भ में।

स्व-घोषणा-पत्र

मैं _____ (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र _____
निवासी _____ थाना _____ जनपद _____ वर्तमान में (जनपद / इकाई
का नाम) _____ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"
- (ख) रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिय जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।
- 2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3- यह घोषणा- पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली -1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद /इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/ पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा- पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।